न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 64/2024

प्रार्थीगण

1. प्रकाश पुत्र डूंगरराम
2. मुकेश डूंगरराम
3. मनोहर पुत्र डूंगरराम
4. श्रवण पुत्र डूंगरराम
5. सुरेश पुत्र डूंगरराम
6. किशन पुत्र दिनेश
7. दिलीप पुत्र दिनेश
8. उर्मिला पुत्री दिनेश
9. चुनकी पत्नी दिनेश
10. सुमन पुत्री डूंगरराम
11. विमला पुत्री डूंगरराम
12. कमला पुत्री डूंगरराम जातियान नाई निवासीगण खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रामसुख पुत्र भंवरलाल
2. मदनलाल पुत्र बगताराम जातियान नाई निवासीगण खेजडला तहसील बिलाडा
3. विक्रम पुत्र स्व. लालाराम
4. अनु पुत्री स्व. राजूराम
5. लाडूडी पत्नी स्व. राजूराम
6. नवनीत पुत्र स्व. बबलू
7. पूजा पुत्री स्व. बबलू
8. अलका पुत्री स्व. बबलू
9. द्रौपदी पत्नी स्व. बबलू
10. ऋषि पुत्र स्व.दीपक
11. खुशी पत्नी स्व. दीपक
12. चन्दू पुत्री स्व. लालाराम
13. पिंकी पुत्री स्व. लालाराम जातियाान नाई निवासीगण पावटा सी रोड धर्मनारायण का हत्था सी-132 जोधपुर
14. जगदीश पुत्र रूपाराम जाति नाई निवासी खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
15. एच.डी.एफ.सी. बैक लिमिटेड शाखा मेडतासिटी जिला नागौर
16. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः- प्रार्थी - श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 से 14-श्री पूनाराम सीरवी, श्री अजीतसिंह अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 15- के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 16- सरकारी पैरोकार।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

:: आदेश ::

दिनांकः- 14/10/25

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 142 रकबा 2.8234 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है जिसकी खातेदारी 1/36 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 1 का तथा 1/36 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 2 का तथा 1/36 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 3 का तथा 1/36 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 4 का तथा 1/36 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 5 का तथा 1/144 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 6 का तथा 1/144 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 7 का तथा 1/144 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 8 का तथा 1/144 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 9 का तथा 1/36 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 10 का तथा 1/36 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 11 का तथा 1/36 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 12 का तथा 1/4 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 का तथा 1/4 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 का तथा 1/24 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 का तथा 1/48 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 4 का तथा 1/48 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 5 का तथा 1/96 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 6 का तथा 1/96 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 7 का तथा 1/96 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 8 का तथा 1/96 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 9 का तथा 1/48 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 10 का तथा 1/48 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 11 का तथा 1/24 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 12 का तथा 1/24 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 13 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इसी प्रकार ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 137 रकबा 1.5937 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 141 रकबा 0.8252 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 148 रकबा 1.7394 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 595 रकबा 1.6585 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नंबर 596 रकबा 1.9740 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 597 रकबा 1.6261 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 602 रकबा 1.3349 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 7 कुल रकबा 10.7518 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/45 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 1 का तथा 1/45 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 2 का तथा 1/45 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 3 का तथा 1/45 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 4 का तथा 1/45 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 5 का तथा 1/45 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 5 का तथा 1/180 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 6 का तथा 1/180 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 7 का तथा 1/180 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 8 का तथा 1/180 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 9 का तथा 1/45 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 10 का तथा 1/45 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 11 का तथा 1/45 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 12 का तथा 1/5 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 का तथा 1/5 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 का तथा 1/30 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 का तथा 1/60 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 4 का तथा 1/60 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 5 का तथा 1/120 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 6 का तथा 1/120 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 7 का तथा 1/120 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 8 का तथा 1/120 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 9 का तथा 1/60 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 10 का तथा 1/60 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 11 का तथा 1/30 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 12 का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

तथा 1/30 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 13 का तथा 1/5 वां हिस्सा अप्रार्थी सं. 14 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा, लेकिन अप्रार्थीगण इसके लिए तैयार नहीं हुये तो प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीग्ण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अडचने पैदा कर रहे है, तथा बीना बंटवाडा कराये भूमि का बैचान हस्तान्तरण की कोशिश की जा रही है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा का अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड रहा है। दावे के पद सं. 1 में वर्णित संयुक्त खातेदार दिनेश पुत्र डूंगरराम का देहान्त सन् 2020 में हो चुका है। संयुक्त खातेदार दिनेश पुत्र डूंगरराम के दो पुत्र किशन, दिलीप व एक पुत्री उर्मिला व पत्नी चुनकी है जिसे दावे में प्रार्थी सं. 6 से 9 पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है। तथा दावे में प्रार्थी सं. 6 से 9 पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है तथा दावे में प्रार्थी सं. 6 से 9 पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है तथा दावे के पद सं.1 व 2 में वर्णित संयुक्त खातेदार लालाराम पुत्र बगताराम का देहान्त करीब 6 माह पूर्व हो चुका है लालाराम के चार पु. विक्रम, राजूराम, बबलू, दीपक तथा दो पुत्रीया चन्दू व पिंकी है। जिसमें से राजूराम, बबलू, दीपक फोत हो चुके है। राजूराम के उतराधिकारी उसकी पुत्री अनू व लाडूडी है। तथा बबलू के उतराधिकारी उसका पुत्र नवनीत व पुत्रीया पूजा व अलका व पत्नी द्रोपदी है। दीपक के उतराधिकारी उसका पुत्र ऋषि व पत्नी खुशी है। जिसे दावे में अप्रार्थी सं. 4 से 11 पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है। प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थीगण भूमि खसरा नंबर 142 रकबा 2.8234 हैक्टयर किस्म तृतीय तथा खसरा नंबर 137 रकबा 1.5937 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 141 रकबा 0.8252 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 148 रकबा 1.7394 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 595 रकबा 1.6585 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नंबर 596 रकबा 1.9740 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 597 रकबा 1.6261 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 602 रकबा 1.3349 हैक्टयर किस्म बारानी के खातेदार एवं काबिज होने से तुलनात्मक सुविधा प्रार्थीगण के हक में है। अप्रार्थीगण की नाजायज दखल नहीं रोकी गयी तो अपूर्णनीय हानि प्रार्थीगण को होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकारकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 142 रकबा 2.8234 हैक्टयर किस्म तृतीय तथा खसरा नंबर 137 रकबा 1.5937 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 141 रकबा 0.8252 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 148 रकबा 1.

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

7394 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 595 रकबा 1.
6585 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नंबर 596 रकबा 1.
9740 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 597 रकबा 1.
6261 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 602 रकबा 1.
3349 हैक्टयर किस्म बारानी वाके मौजा खेजडला तहसील बिलाडा में मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखे जाने का आदेश फरमावें। अन्य आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष में हो अता फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 14 की ओर से श्री पूनाराम सीरवी व श्री अजीतसिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 142 के रेकर्डेड खातेदारान प्रार्थी सं. 1 से 5 व प्रार्थी सं. 10 से 12 ही है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र प्रार्थी सं. 6 से 9 रेकर्डेड खातेदार नहीं होने के उपरान्त भी इन्हे प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र में बतौर प्रार्थीगण पक्षकार के संयोजित किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हिस्से गलत अंकित किये है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हिस्से सुधारकर पुनः नया वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है क्योंकि बंटवाडे के दावे में प्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्सों के आधार पर ही बंटवाडा किया जाता है. लेकिन प्रार्थीगण द्वारा पक्षकारों के हिस्से ही गलत दर्ज किये गये है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कभी भी दखलअन्दाजी नहीं की तथा न ही अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने पर आमादा है वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी है तथा अप्रार्थीगण की आजीविका काश्त कार्य से ही चलती है इसलिए पुश्तैनी कृषि भूमि को बैचान करने प्रश्न की पैदा नहीं होता है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं की है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को कभी भी बंटवाडा करवाने हेतु निवेदन नहीं किया गया तथा न ही तहसील में चलकर बंटवाडा करने हेतु कहा। प्रथम दृष्टता मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार है तथा सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। क्योंकि अप्रार्थीगण अपने बंट की भूमि पर काश्त करते आ रहे है। अगर प्रार्थीगण द्वारा स्थगन की आड में अप्रार्थीगण को उनकी भूमि से जबरन बेदखल कर दिया गया तो अप्रार्थीगण को पूर्णनीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी सं. 16 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. ***प्रथम दृष्ट्या मामला :-*** वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण प्रकाश एवं अप्रार्थीगण रामसुख जो परस्पर सहखातेदार भी है। राजस्व जमाबंदी संवत् 2073-76 के खसरा नंबर 142 में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2073-76 के खसरा नंबर खसरा नंबर 137 रकबा 1.5937 हैक्टयर, खसरा नंबर 141 रकबा 0.8252 हैक्टयर, खसरा नंबर 148 रकबा 1.7394 हैक्टयर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.6585 हैक्टयर, खसरा नंबर 596 रकबा 1.9740 हैक्टयर, खसरा नंबर 597 रकबा 1.6261 हैक्टयर, खसरा नंबर 602 रकबा 1.3349 हैक्टयर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1, 2 व 14 रेकर्डेड खातेदार है जबकि एक अन्य नाम लालाराम पुत्र बगताराम का नाम भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने हस्तगत प्रकरण में पैरा सं. 6 में वर्णित किया कि संयुक्त खातेदार लालाराम पुत्र बगताराम का देहान्त करीब 6 माह पूर्व होने से उनके वारिसानों व वारिसानों के वारिसान को अप्रार्थी सं. 3 से 13 पक्षकार के रूप में संयोजित होना बताया गया। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार साबित होते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अगर वादग्रस्त अराजी संयुक्त खातेदारी की है तो रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती किन्तु प्रार्थी के हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण अजनबी क्रेता को बैचान करने को आमादा है अगर अप्रार्थीगण अजनबी क्रेता को वादग्रस्त भूमि का बैचान कर देते है तो वाद में पेचिदिगिया बढ जायेगी। अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की होने पर भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा निहित होता है। प्रथमदृष्टया प्रार्थी के हस्तगत प्रकरण में भी वादग्रस्त आराजी संयुक्त सहखातेदारी की है। धारा 212 राजस्थान टीनेसी एक्ट में प्रावधान है कि वादग्रस्त भूमि को नुकसान पहुचाने की नियत से खतरा हो तो ऐसी स्थिति में सम्पति की सुरक्षा हेतु अनुतोष के रूप में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधिकार के संबंध में गंभीर एवं सद्भावी डिस्प्यूट मानते हुए दावे का निस्तारण तक आराजी को हस्तान्तरित नही करना चाहिए। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थी के पक्ष में भलीभांति साबित होता है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष साबित हो चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा राजस्व जमाबंदी पेश की जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताया, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का सतुंलन प्रार्थीगण के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष साबित हुए है, अगर विवादित भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर दिया जायेगा तो मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा, जिसकी अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को कारित हो जायेगी। अतः ऐसी स्थिति में दावे के निर्णय तक यथास्थिति कायम रखना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। तथा अप्रार्थी सं. 1 से 14 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम खेजडला के खसरा नंबर 142 रकबा 2.8234 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 137 रकबा 1.5937 हैक्टयर, खसरा नंबर 141 रकबा 0.8252 हैक्टयर, खसरा नंबर 148 रकबा 1.7394 हैक्टयर, खसरा नंबर 595 रकबा 1.6585 हैक्टयर, खसरा नंबर 596 रकबा 1.9740 हैक्टयर, खसरा नंबर 597 रकबा 1.6261 हैक्टयर, खसरा नंबर 602 रकबा 1.3349 हैक्टयर का मूल वाद के निस्तारण तक अन्य किसी को बैचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नही करे तथा विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 14/10/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा